भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 1022

मंगलवार, 12 दिसम्बर, 2023/21 अग्रहायण, 1945 (शक)

एनपीएस को बंद और पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना

1022. श्री राम नाथ ठाकुर:

श्री जावेद अली खान:

क्या ***वित्त*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अक्तूबर, 2023 में लगभग 2 मिलियन सरकारी कर्मचारी नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एनपीएस को समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के पक्ष में एकत्र हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार देश भर में सरकारी कर्मचारियों के भारी विरोध को देखते हुए ओपीएस की बहाली के लिए कानून लाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) तथा (ख): वित्त मंत्रालय को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को समाप्त करने और पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने के लिए समय समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन के मामलों को देखने के लिए तथा अन्य बातों के साथ-साथ यह जाँचने के लिए कि क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए यथा लागू, विद्यमान रूपरेखा तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के आलोक में, इसमें कोई परिवर्तन वांछित है, वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है।

(ग) से (ङ): केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन स्कीम के लिए कोई प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष विचारधीन नहीं है।

*****